रजिस्ट्री क्र डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 1991/वैशाख 25, 1913
No. 289] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 1991/VAISAKHA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 1991

का.आ. 330(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) अभिप्रेत है ;

(ख) 'सलाहकार समिति' से केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक दायित्व बीमा सलाहकार समिति (लो.दा.बी.स.स.) के नाम से ज्ञात अधिनियम की धारा 21 के अनुसरण में गठित कोई समिति अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्राधिकृत चिकित्सक' से चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर के रखे जाने के लिए उपबन्ध वाले किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या किसी अन्य क्षेत्र में जहां ऐसा कोई अन्तिम उल्लिखित अधिनियम प्रवृत्त नहीं है, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कोई व्यक्ति जो प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी होगा, अभिप्रेत है ;

(घ) 'निधि' से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी स्वामी द्वारा स्थापित और अनुरक्षित निधि अभिप्रेत है ;

(ङ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उनका इन अधिनियमों में है ।

सत्यापित
5-7-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

3. राहत के लिए आवेदन :

राहत के लिए दावे का कोई आवेदन कलक्टर को प्ररूप-1 में किया जाएगा ।

4. दस्तावेज जिनकी उपेक्षा की जा सकेगी :

दावे का आवेदन कलक्टर को प्ररूप-1 में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित ऐसे दस्तावेज लगे होंगे, जो लागू होते हैं ;

(i) दुर्घटना द्वारा हुई निशक्तता या क्षति या रुग्णता की दावत किसी प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र ;

(ii) प्राणघातक दुर्घटना की दशा में मृत्यु प्रमाणपत्र और/या शव परीक्षा रिपोर्ट ;

(iii) अस्थाई या भागतः निशक्तता के कारण मजदूरी की हानि की दावत नियोजक का प्रमाणपत्र और उसके साथ तीन दिन से अधिक की अवधि के लिए अस्पताल में दाखिल रहने का सबूत या आहत व्यक्ति की जन्म तारीख या आयु के बारे में प्रमाणपत्र ;

(iv) चिकित्सा बिल और रसीदें ;

(v) दुर्घटना द्वारा प्राइवेट सम्पत्ति को हुई नुकसानी की मरम्मत या प्रतिस्थापन की लागत का प्रमाणपत्र ;

(vi) कोई अन्य दस्तावेज जो दावे से सुसंगत हो ।

5. कलक्टर की शक्तियां :

(i) कलक्टर अधिनियम के अधीन राहत के किसी आवेदन पर जांच कराने के लिए ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया अपना सकेगा जो वह उपयुक्त समझे ।

(ii) कलक्टर को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना ;

(ख) दस्तावेजों की प्रकटीकरण करने और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 और और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी लोक अभिलेख या दस्तावेजों या ऐसे अभिलेख दस्तावेज की ऐसे कार्यालय से प्रति उपलब्ध करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ;

(च) व्यतिक्रम के लिए किसी आवेदन को खारिज करना या एक पक्षीय रूप से कार्यवाही करना

(छ) व्यतिक्रम के लिए किसी आवेदन को खारिज करना या उसके द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना ;

(ज) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के अधीन व्यावृत्त किसी सिविल न्यायालय के अन्तर्निहित शक्तियां

6. निधि का स्थापन और प्रशासन :

(1) अधिनियम की धारा 4(3) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई स्वामी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक या उसके समनुषंगियों या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक निधि निक्षेपण खाता खोल कर अपनी एक लोक दायित्व बीमा निधि का सृजन और स्थापना करेगा ।

(2) इस प्रकार सृजित की जाने वाली निधि का उस स्वामी के के विरुद्ध किए गए अधिनिर्णय के किसी दावे से उद्भूत जिससे निधि सृजित की है, दायित्व की पूर्ति के प्रयोजन के लिए और कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत राशि का उन्मोचन करने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

(3) निधि का प्रबंधन स्वामी द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी प्रशासक द्वारा किया जाएगा । स्वामी, प्रशासक के नाम निर्देशन को केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित करेगा ।

7. प्रकीर्ण :

(1) कलक्टर राहत के लिए आवेदन या दावे की याचिकाओं का एक रजिस्टर और तद्धीन किए गए अधिनिर्णय और संदाय का एक रजिस्टर बनाए रखेगा ।

(2) ये रजिस्टर जनता के निरीक्षण के लिए प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 11.00 बजे से 1.00 बजे अपराह्न और 2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक खुले रखे जायेंगे ।

(3) किसी संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर कलक्टर ऊपर उल्लिखित रजिस्टरों में प्रविष्टि विशिष्टियों की प्रति या उसका सार सत्यापित रूप में प्रदान करेगा ।

(4) कलक्टर के रजिस्टर (रजिस्टरों) से कोई प्रति या सार जो कलक्टर या इस निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से यह प्रमाणित है, मूल प्रति के समान विधिमान्यता के रूप में सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में अनुज्ञेय होगी/होंगी ।

प्ररूप–1

प्रतिकर के आवेदन का प्ररूप

श्री/श्रीमती/कुमारी*

जोका सुपुत्र/सुपुत्री/विधवा* है, जिसकी तारीखकोपर मृत्यु हो गई थी/जो आहत हो गया था, दुर्घटना की दावत विशिष्टियां अन्य जानकारी नीचे प्रस्तुत करता हूं :—

1. आहत/मृतक व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम (विवाहिता महिला या विधवा की दशा में पति का नाम)

2. आहत/मृतक व्यक्ति का पता :

3. आयु जन्म की तारीख

4. आहत/मृतक व्यक्ति का लिंग

5. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय :

6. आहत/मृतक व्यक्ति की उपजीविका

7. हुई क्षति की प्रकृति

8. उस पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई या रजिस्ट्रीकृत की गई थी :

9. उस चिकित्सा अधिकारी या व्यवसायी का नाम और पता जिसने आहत/मृतक व्यक्ति की परीक्षा की :

सत्यापित सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

10. दावादार/दावेदारों का/के नाम और पता/पते : है

11. मृतक से नातेदारी :

12. कोई अन्य जानकारी जो दावे के निपटाने में आवश्यक या आवश्यक समझी जाती है ;

मैं शपथ लेता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि ऊपर दिए गए सभी तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

दावेदार के हस्ताक्षर

[सं. 18/3/91-पी.एल.]
र. राजामणि, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 1st May, 1991

NOTIFICATION

S.O. 330(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(1)These rules may be called the Public Liability Insurance Rules, 1991.

(ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991) ;

(b) "Advisory Committee" means the committee constituted by the Central Government in accordance with section 21 of the Act called the Public Liability Insurance Advisory Committee (PLIAC) ;

(c) "Authorised physician" means any person registered under any Central Act or State Act providing for the maintenance of a register of medical practitioners or in any area where no such last mentioned Act is in force, any person declared by State Government by notification in the Official Gazette to be a qualified medical practitioner ;

(d) "Fund" means a fund established and maintained by an owner in accordance with provision to sub-section 3 of section 4 of the Act ;

(e) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in these Acts.

3. Application for relief :—An application for claim for relief shall be made to the Collector in Form I.

4. Documents that may be required :—The claim application shall be made to the Collector is Form I accompanied by such of the following documents as may be applicable :—

(i) Certificate of an authorised physician regarding disability or injury or illness caused by the accident ;

(ii) Death Certificate and/or post mortem report in the case of a fatal accident ;

(iii) Certificate of the employer regarding loss of wages due to temporary or partial disability, with proof of hospitalisation for a period exceeding three days and certificate about the date of birth or age of victim ;

(iv) Medical bills and receipts ;

(v) Certificate of cost of repairs or replacement of private property damaged by the accident ;

(vi) Any other documents which may have relevance to the claim.

5. Powers of Collector.—(i) The Collector may follow such summary procedure for conducting an inquiry on an application for relief under the Act, as he thinks fit.

(ii) The Collector shall have all the powers of a Civil Court for the following purposes namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath.

(b) requiring the discovery and production of documents ;

(c) receiving evidence on affidavits ;

(d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or documents or copy of such record or document from any office ;

(e) issuing commissions for the examination of witness or documents;

(f) dismissing an application for default or proceeding ex-parte ;

(g) setting aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it ex-parte ;

(h) inherent powers of a civil court as saved under section 15.1 of the Code of Civil Procedure 1908.

6. Establishment and Administration of Fund :—

(1) An owner of the category specified in section 4(3) of the Act shall, with the prior approval of the Central Government, create and establish a fund by depositing with the

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

State Bank of India or any of its subsidiaries or any nationalised bank, a public liability Insurance fund of that owner.

(2) The fund to be created shall be utilised for the purpose of meeting the liability arising out of any claim awarded against the owner who has created the fund and to discharge the amount awarded by the Collector.

(3) The fund shall be operated by an Administrator to be nominated by the owner. The owner shall notify the nomination of the Administrator to the Central Government.

7. Miscellaneous :—

(1) The Collector shall maintain a register of the application for relief or claim petitions, and, a register of awards and payment made thereunder.

(2) These Registers shall be kept open to Public inspection from 11.00 AM to 1. P.M. and 2 P.M. to 5 P.M. on every working day.

(3) On a request from a concerned person, the Collector shall supply a copy of or extract from any particulars entered in the registers mentioned above to be a true copy or extract thereof.

(4) A copy of or extract from the register(s) of the Collector as certified under the hand of the Collector or any officer authorised to act in this behalf shall in all legal proceeding, be admissible as evidence as of equal validity with the original.

FORM I

FORM OF APPLICATION FOR COMPENSATION

Shri|Shrimati|Kumari*————
Son of|daughter of|Widow* of Shri————Who died|had sustained injuries in an accident on————————at————————Particulars in respect of accident and other information are given below :—

1. Name and Father's name of person injured|dead (husband's name in case of married Woman or Widow).
2. Address of the person injured|dead.
3. Age————Date of Birth————————
4. Sex of the person injured/dead :
5. Place, date and time of the accident :
6. Occupation of the person injured|dead :
7. Nature of injuries sustained :
8. Name of Address of Police Station in whose Jurisdiction accident took place or was registered :
9. Name and address of the Medical Officer/Practitioner who attended on the injured/dead :
10. Name and address of the Claimant/claimants :
11. Relationship with the deceased :
12. Any other information that may be considered necessary or helpful in the disposal of the claim :

I hereby swear and affirm that all the facts noted above are true to the best of may knowledge and belief.

SIGNATURE OF THE CLAIMANT

*Strike out whichever is not applicable.

[F. No. 18(3)/91-PL]

R. RAJAMANI, Secy.

सत्यापित

5-7-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991